राजस्थान सरकार

प्रशासनिक सुधार (अनु–4/निरीक्षण) विभाग

कमांक प.5(5)प्र.सु./अनु–4/2006 जयपुर, दिनांक : 27-3-2008

–:: परिपत्र ::–

विषय :– **सरकारी कार्यालय में समय की पाबंदी एवं आकस्मिक निरीक्षण बाबत।**

राज्य के समस्त सरकारी कार्यालयों में समय पर उपस्थिति, मुख्यालय एवं कार्यस्थल पर पूरे समय ठहराव सुनिश्चित किये जाने हेतु इस विभाग द्वारा समय–समय पर दिशा–निर्देश एवं परिपत्र जारी किये हुए हैं । प्रायः देखा गया है कि संबंधित कार्यालयाध्यक्षों/अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों की उपस्थिति का नियमितरूप से निरीक्षण नही किया जा रहा है। राज्यस्तरीय "आकस्मिक निरीक्षणदल" द्वारा किये गये निरीक्षण में अनुपस्थित पाये गये कार्मिकों के बारे में पालना रिपोर्ट प्रेषित करने में शिथिलता एवं दोषी कार्मिकों के विरूद्ध कार्यवाही करने में विलम्ब के मामले भी सामने आ रहे हैं। समय पर समुचित कार्यवाही नही होने के कारण निरीक्षण का उद्धेश्य पूर्ण नहीं होता है ।

अतः राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पूर्व प्रसारित दिशा–निर्देशों की निरन्तरता में निम्न [निर्दे]श तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे :–

1. *सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कार्यालयों में उपस्थिति का समय–समय पर आकस्मिक निरीक्षण कराया जाये ।*
2. *राज्य स्तरीय आकस्मिक निरीक्षण दल के निरीक्षण के समय जिस कार्यालय में अनुपस्थिति अधिक पाई जाती है और जिसका औचित्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होगा, उन कार्यालयाध्यक्षों को भी लचर नियन्त्रण का दोषी माना जायेगा ।*
3. *अनुपस्थित पायें जाने वाले कार्मिकों के विरूद्ध पूर्व में जारी निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जाये।*
4. *निरीक्षण दल द्वारा किये गये निरीक्षण की पालना रिपोर्ट 15 दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से प्रेषित की जावे।*

उपरोक्त निर्देशों के संबंध में अविलम्ब अपने स्तर से आवश्यक दिशा–निर्देश समस्त संबंधित अधिकारियों को जारी कर इसकी पालना सुनिश्चित करावें ।

(डी.सी.सामन्त)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव/विशिष्ठ सहायक, समस्त मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
6. समस्य अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक,समस्त निगम/बोर्ड/स्वायत्तशाषी संस्थाऐं, राजस्थान
7. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान ।
8. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान ।
9. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान ।
10. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर ।
11. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर ।
12. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
13. सचिव, राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।
14. रक्षित पत्रावली ।

(आर.पी.जैन)
प्रमुख शासन सचिव